

नम्बर व
अहकाम
इस
तामील
ह

| | | |
|-------------|---|--|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या 83/2023 GCMS 2023/215 अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 उनवानी अजय कुमार बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|--|

11.06.2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित आये। साक्ष्य प्रार्थी में दरस्तावेज सूची कुल किता 4 पेश हुये जो शामिल पत्रावली किये गये। तहसीलदार खेतड़ी से उनके पत्रांक राजस्व/2023/611 दिनांक 02.08.2023 से जांच रिपोर्ट पूर्व में प्राप्त हो चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दरस्तावेजात् व तहसीलदार खेतड़ी की जांच रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि प्रार्थी के नाम की त्रुटि न तो भू प्रबन्ध विभाग की है तथा न ही कोई लिपिकीय त्रुटि है। प्रार्थी का वर्तमान नाम जमाबन्दी में विरासत नामान्तरकरण संख्या 116 से दर्ज हुआ है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 136 के अन्तर्गत बनना नहीं पाया जाता है। लिहाजा

—: आदेश :-

अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत पोषणीय नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सविता शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी
उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी